संख्या-7/2017/733/छः ना0सु0-17-1बजट/16टीसी

प्रेषक,

राजन शुक्ला
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अनुसचिव/आहरण वितरण अधिकारी,
होमगाड्र्स, नागरिक सुरक्षा एवं
राजनैतिक पेंशन विभाग,
लेखा अनुभाग,
उ0प्र0, शासन।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2017**

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष सात माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अधीन लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03-राज्य मुख्यालय स्थापना-0301-सामान्य के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0-61.79 (इकसठ लाख उन्यासी हजार मात्र) में से शासनादेश संख्या-1/2017/263/छः ना0सु0-17-1बजट/16टीसी दिनांक 26-04-2017 द्वारा लेखानुदान अवधि हेतु रू0-12.80 लाख (बारह लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, के क्रम में धनराशि रू0-22.37 लाख (बाइस लाख सैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, स्वीकृत की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

2- स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

3- व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखापरीक्षक) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>पृष्ठांकन संख्या-7/2017/733(1)/छ:ना0सु0-17-1बजट/16टीसी, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :---

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (बजट) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन। (3 प्रतियों में)
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-7/2017/733/छ:ना0सु0-17-1बजट/16टीसी

दिनांक 21 अगस्त, 2017 का संलग्नक

अनुदान संख्या-27-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय की स्थापना-01-सामान्य	**पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-1/2017/ 263/छ:ना0सु0-1बजट/6 टी0सी0 दिनांक 26-04-2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि**	**वर्तमान में आवंटित धनराशि (लाख रूपये में)**
01-वेतन	11.00	18.45
03-मंहगाई भत्ता	0.55	1.00
04-यात्रा व्यय	0.04	0.10
06-अन्य भत्ते	0.83	1.00
07-मानदेय	0.04	0.06
08-कार्यालय व्यय	0.07	0.07
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.06	0.10
49-चिकित्सा व्यय	0.21	0.09
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	------	1.50
योग--------	**12.80**	**22.37**
अनुसचिव/आहरण वितरण अधिकारी होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग, लेखा अनुभाग, के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि रू0-22.37/- (रू0 बाइस लाख सैंतीस हजार मात्र)		

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।